N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0113 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/05/2025 19:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 14/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/05/2025 19:37:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 8.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** CITY BAS STAND,, SANGANER PULIYA KE PASS,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARSAHAY SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	16, RAMSINGH NAGAR,MANOHARPURA, JAGATPURA,JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT,
2	स्थायी पता	16, RAMSINGH NAGAR,MANOHARPURA, JAGATPURA,JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT,

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9887655343

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR		पिता:HOSHIYAR SINGH	1. 103,MAHAL ROAD GAJTAPURA 7 NO. CHAORAHA KE PASS,VIGYAN NAGAR,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.05.2025 को श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री अजय कुमार है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है और प्रार्थना-पत्र मुझे सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री अजय कुमार के मेरे कक्ष में आया तथा श्री अजय कुमार से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरसहाय शर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 16, रामसिंह नगर, मनोहरपुरा, जगतपुरा जयपुर मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज विद्यालय U DISE CODE का अवलोकन किया गया। परिवादी का प्रार्थना इस आशय का है कि मैं प्रार्थी अजय कुमार पुत्र श्री हरसहाय शर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 16, रामसिंह नगर, मनोहरपुरा, जगतपुरा जयपुर हूं।मेरा जय श्री राम स्कूल के नाम से 110 रूकमणि विहार मुहाना में स्कूल है एवं शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है। इसके बाद बच्चों के रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए U DISE कोड के लिए मैंने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण के यहां आवेदन दे रखा है जो उक्त U DISE आवेदन पत्र संशोधित करवा कर जारी करवाना है। उक्त आवेदन श्री सुरेन्द्र जी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण द्वारा संशोधित करने व जारी करने की एवज में मेरे से पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि की माँग की जिनमे से श्री सुरेन्द्र जी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर ग्रामीण ने मेरे ऊपर दबाव बनाकर दस हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व में प्राप्त कर ली तथा अब शेष पांच हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग और कर रहे है। मैं ये पैसे उनको नहीं देना चाहता। सुरेन्द्र जी से मेरी पूर्व में न तो कोई रंजिश है और न ही कोई लेन देन बकाया है। मैं उसे रंगे हाथों रिश्वत राशि के साथ पकड़वाना चाहता हूं। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी से स्वयं के पहचान पत्र की प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की। उपस्थित परिवादी श्री अजय कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मेरी स्कूल के U DISE CODE सम्बन्धी आवेदन का कार्य श्री सुरेन्द्र जी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है। सुरेन्द्र जी ने इस कार्य को करने के लिए मेरे से शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित उनके कार्यालय में 5,000/-रूपये की और रिश्वत राशि की मांग की थी जिसके सन्दर्भ में मेरे द्वारा आज दिनांक 08.05.2025 को सुरेन्द्र जी से नेगोशियेशन करने पर 5,000 रूपये से कम नहीं की गई। लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर रिश्वत की मांग किया जाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अतः परिवादी अजय कुमार व एसओ सुरेन्द्र के मध्य वार्ता करवायी जाकर सत्यापन करवाया जाना उचित प्रतीत होने पर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी श्री अजय कुमार से कहा गया तो श्री अजय कुमार ने अवगत करवाया कि सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से आज वार्ता हुयी है अब वह कार्यालय में नहीं मिलेगा कल दिनांक 09.05.2025 को सुबह 1030 बजे पैसे से सम्बन्धित वार्तालाप करने के लिए शिक्षा संकुल में बुलाया है। इस पर परिवादी श्री अजय कुमार को कल दिनांक 09.05.2025 को ब्यूरो कार्यालय में समय 0930 ए.एम. पर उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.05.2025 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार उपस्थित कार्यालय आया जिसने अवगत करवाया कि आज दिनांक को शिक्षा संकुल में जाना है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से एक नया sandisk ultra 16 GB micro card व डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर कार्यालय लेपटॉप से दोनों खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री अजय कुमार को शिक्षा संकुल में जाकर एसओ श्री सुरेन्द्र से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करने की प्रक्रिया समझाइश की तथा वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाइश की जाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पुनः खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री अजय कुमार को सुपुर्द किया जाकर परिवादी व श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 11.10 एएम पर श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल नं. 181 मय परिवादी श्री अजय कुमार के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अवगत करवाया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर शिक्षा संकुल पहुंचा जहां पर श्री चन्द्रप्रकाश जी शिक्षा संकुल परिसर में ठहर गये। मैं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू करके सुरेन्द्र जी से वार्ता करने हेतु संकुल कार्यालय में गया परन्तु सुरेन्द्र उपस्थित नहीं मिला। इस पर मैंने उनके मोबाइल पर कॉल किया तो उन्होनें कहा कि मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करके

लोकेशन भेजता हूं आप वहां आ जाना। इस पर मै वापस चन्द्रप्रकाश जी के पास शिक्षा संकुल परिसर में आया और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को बंद करके मेरे पास सुरक्षित रख लिया था। यह बात मैंने श्री चन्द्रप्रकाश जी को बतायी। फिर मैंने आपको कॉल किया और निर्देशानुसार हम वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय वापस आ गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू करके रिकॉर्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बतायी गयी बातों की ताईद हुयी। इस पर परिवादी को हिदायत की गयी कि जब भी एसओ का कॉल आये तो मन् पुलिस निरीक्षक या श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल को अवगत करवाये। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 11.40 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल करके अवगत करवाया कि मेरे मोबाइल पर श्री सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कॉल आया है और हौटल आमेर क्लार्क, दुर्गापुरा जयपुर की लोकेशन भेजकर वहां पहुंचने के लिए कहा है। वह मेरे से वहां पर रिश्वत के लेन देन की वार्ता करेगा। मैं अभी जवाहर सर्किल हूं। आप श्री चन्द्रप्रकाश जी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर देकर मेरे पास जवाहर सर्किल, जयपुर भेज दो। इस पर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकालकर श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल को सुपुर्द कर जवाहर सर्किल पहुंचने व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया परिवादी को समझाने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 02.30 पीएम पर श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल 181 मय परिवादी श्री अजय कुमार के वापस आया। परिवादी श्री अजय कुमार ने विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अवगत करवाया कि जवाहर सर्किल पर श्री चन्द्रप्रकाश जी मुझे मिले जिन्होनें भी मुझे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर उसके संचालन की विधि समझायी थी। मैंने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू करके मेरी जेब में रख लिया था। तत्पश्चात् मैंने सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कॉल करके लोकेशन में बताये स्थान पर जाने के लिए बताकर कहा कि मैं होटल आमेर क्लार्क के सामने पहुंचकर आपको कॉल करता हूं। इस पर सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। इस पर मैं श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल के साथ रवाना होकर होटल आमेर क्लार्क के सामने पहुंचा जहां पर मैंने सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कॉल करके नियत स्थान पर पहुंच जाने के बारे में बताया। इस पर सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आप होटल आमेर क्लार्क के अन्दर आ जाओ मीटिंग चल रही है। इसके पश्चात् मैं होटल आमेर क्लार्क के अन्दर चला गया और श्री चन्द्रप्रकाश जी होटल के सामने खड़े रह गये थे। मैं होटल के अन्दर रिसेप्शन पर बैठा था तो काफी देर इंतजार कराने के बाद सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मेरे पास आया और कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में जमा करवाये गये फार्म की छायाप्रति मुझे देकर अवगत करवाया कि आपके द्वारा पेश किया गया फॉर्म ऑरिजनल नहीं है यह छायाप्रति है इस कारण से यह जमा नहीं हो सका। आप इस छायाप्रति को देखकर दूसरा फार्म भरो तब वह जमा हो सकेगा। इतने में उनके मोबाइल पर कॉल आ गया और वो मुझे वहीं बैठे रहने की कहकर चले गये। इसके पश्चात् सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होटल के रिसेप्शन पर वापस आया और मेरे से U DISE CODE सम्बन्धी आवेदन को भरने व जमा कराने की प्रक्रिया बतायी तथा मौके पर ही रिश्वत लेने के लिए बोला जिस पर मैंने उनको मौके पर रिश्वत राशि कल परसों देने के लिए बताया तो उन्होने कहा कि कल परसों क्या कर रहे हो अभी दे दो इस पर मैंने उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा कि मैं आपको 10,000/- रूपये पूर्व में दे चुका हूं जिस पर सुरेन्द्र कुमार ने 10,000/- रूपये प्राप्त होने की बात स्वीकार करने पर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ राशि होने की बात कही तो उसने कहा कि जो है वो दे दो अभी। इस पर मैंने मेरी जेब में रखे 1,000/- रूपये उनको मौके पर ही दे दिये व बाकी चार हजार रूपये तीन चार दिन में मिलकर देने के लिए कहा। इसके बाद उन्होनें कहा कि मैं आपका कॉपरेट करूंगा व आगे आपकी मदद करूंगा तथा वहीं पर सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मेरा U DISE CODE सम्बन्धी फार्म मुझे भरना बताया जिस पर सुरेन्द्र कुमार के बताये अनुसार मैंने उस फार्म को भरा जिसके बाद उसने फार्म पर अपने हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर मुझे दिया और फार्म पर हेडमिस्ट्रेस के हस्ताक्षर करवाने व सील लगवाने के बाद डिस्पेच कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, समग्र शिक्षा, जयपुर में आज ही जमा करवाने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मेरे पास सील नहीं है। मैं पूर्ति करने के बाद में सोमवार को जमा करवा दूंगा तो उन्होनें समझाया कि इस फार्म को आप शिक्षा संकुल में सम्बंधित कार्यालय में जमा करा देना। वहां से इस फार्म को ऑनलाइन किया जायेगा जो ऑनलाइन दिख जायेगा जिसके बाद मैं ऑनलाइन यस करके अप्रूव कर दूंगा। इसके पश्चात् मैं होटल मे बाहर आया और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को बंद करके मैंने अपनी जेब में रख लिया था। मेरे व सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के मध्य हुयी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में मैंने श्री चन्द्रप्रकाश जी को भी बताया था। इसके पश्चात डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मैंने कार्यालय लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुयी। रिकॉर्ड वार्ता से एसओ सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा परिवादी अजय कुमार से रिश्वत की माँग किया जाना, परिवादी से पूर्व में प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की पुष्टि होने व माँग सत्यापन के दौरान 1,000/- रूपये की राशि प्राप्त की गई है। परिवादी ने शेष रिश्वत राशि 3-4 दिन में एसओ सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को देने के लिए समय लिया है। परिवादी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर सील लगाकर जो मूल दस्तावेज दिये गये थे जिसका अवलोकन किया तो परिशिष्ट अ जिस पर विद्यालय का नाम जय श्री राम स्कूल मुहाना अंकित है जो विद्यालय U DISE CODE हेतु आवेदन प्रपत्र दिनांक 01.04.2025 जिस पर डिस्पेच क्रमांक अंकित नहीं है, उक्त फार्म पर डिस्पेच नम्बर अंकित किये जाकर व

हेडमिस्ट्रेस के हस्ताक्षर व सील के साथ सम्बन्धित कार्यालय में एसओ सुरेन्द्र कुमार के कहे अनुसार जमा करवाने हेतु परिवादी ने बताया जिससे मांग सत्यापन में हुई वार्ता की ताईद होती है। जिसको संलग्न परिशिष्ट ब की छायाप्रति के साथ बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा आवश्यक कार्य होना अवगत करवाया जिसके लिए परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.05.2025 समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार के कार्यालय मे आने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर लेपटॉप की सहायता से पूर्व में परिवादी द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रिकॉर्ड की गई वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक व परिवादी द्वारा सुनकर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई जिसे आईन्दा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुनः सुना जाकर तैयार ट्रांसस्क्रिप्ट से मिलान किया जायेगा। परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि मैंने एसओ सुरेन्द्र को बुधवार को रिश्वत राशि देने के लिए कहा है। परिवादी ने अपने कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां पेश करते हुये बताया कि मैंने एसओ सुरेन्द्र के द्वारा दिये गये मूल फार्म की पूर्ति कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा जयपुर में जमा करवा दिया है ये उसी फार्म की छायाप्रतियां है, जिन्हे कार्यवाही में शामिल किया गया। एसओ के कहेनुसार मैं कल दिनांक 14.05.2025 को बकाया रिश्वत राशि 4000/- रूपये देने जाउंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 14.05.2025 को रिश्वत राशि के रूप में दी जाने वाली राशि 4,000/- रूपये सहित उपस्थित आने की हिदायत की जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 14.05.2025 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश कुमावत कनिष्ठ सहायक, सांगानेर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर व श्री अशोक कुमार मीना कनिष्ठ अभियंता, जगतपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अजय कुमार से परिचय करवाकर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इस पर दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। समय 11.00 एएम पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अजय कुमार को संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 4000 रूपये प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर परिवादी श्री अजय कुमार ने अपने पास से पीले रंग का लिफाफा निकाला जिसमें से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/-रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 4000/- रूपये के नोटों का विवरण फर्दपेशकशी मे अंकित करवाये गये। उपस्थित परिवादी अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मे मैं जब एसओ सुरेन्द्र कुमार से मिला था और सुरेन्द्र कुमार ने पूर्व मे मेरे से 10 हजार रूपये की रिश्वत व सत्यापन के दौरान 1 हजार रूपये पेशगी रिश्वत राशि ली थी तो उस समय सुरेन्द्र कुमार ने रिश्वत राशि खुली अवस्था मे प्राप्त नही की थी और कहा था कि पैसे लिफाफे मे रखकर दो या कागज मे लपेटकर दो, इसलिए आज सुरेन्द्र कुमार को दी जाने वाली रिश्वत राशि 4 हजार रूपये रखने के लिए लिफाफा भी लाया हूं, एसओ सुरेन्द्र कुमार मेरे से रिश्वत राशि लिफाफे मे ही प्राप्त करेगा, इसलिए मैं आज लिफाफा भी लाया हूं। तत्पश्चात श्रीमती ममता महिला कानि. 251 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि व लिफाफे को अखबार पर रखकर श्रीमती ममता महिला कानि. 251 से उक्त राशि व लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अजय कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश कुमावत से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री अजय कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बायीं साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को लिफाफे में डालकर श्रीमती ममता महिला कानि. 251 से रखवाया गया। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखने बाबत परिवादी को समझाईस की गई। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल या सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स मे सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में श्रीमती ममता महिला कानि. 251 जिसने नोटों व लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनो हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर संदिग्ध अधिकारी इन रंग लगे हुये नोटों व लिफाफे को अपने हाथों से छुएगा और उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा को वापस श्रीमती ममता महिला कानि. 251 से पॉलिथीन की थैली में रखवाया गया तथा गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। अखबार जिस पर नोटों व लिफाफे को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया, उपयोग में ली गई प्लास्टिक की चम्मच तथा डिस्पोजल गिलास, उक्त तीनों को नष्ट करवाया गया। श्रीमती ममता महिला कानि. 251 के हाथों को साबुन पानी से अच्छी

तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्रीमती ममता महिला कानि. 251 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी अजय कुमार व संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में परिवादी की संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर से मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी श्री अजय कुमार को समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध अधिकारी से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। समय 11.20 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार द्वारा अपने मोबाइल नम्बर [redacted] एसओ सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर के मोबाइल नम्बर [redacted] पर कॉल करके एसओ से मिलने के स्थान के बारे में पूछा तो एसओ ने परिवादी के काम और उसकी प्रक्रिया के बारे में बातचीत की और कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। इस कॉल की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवायी गयी। समय 11.22 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार द्वारा अपने मोबाइल नम्बर [redacted] एसओ सुरेन्द्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर के मोबाइल नम्बर [redacted] पर पुनः कॉल करके एसओ से मिलने के स्थान के बारे में पूछा तो एसओ ने बताया कि मैं आधा पौन घण्टे में सांगानेर पुलिया के पास आ रहा हूं। इस कॉल की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवायी गयी। समय 11.40 एएम पर श्रीमती ममता महिला कानि. 251 को कार्यालय में ही छोड़ा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मय श्री ओमप्रकाश किलानिया अति. पुलिस अधीक्षक, श्री अभिषेक, उप अधीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पुरूषोतम हेड कानि. 69, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66 मय स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश कुमावत, श्री अशोक कुमार मीना मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी व प्राइवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री अजय कुमार को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर संचालन करने की प्रक्रिया समझायी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया व परिवादी को श्री चन्द्रप्रकाश कानि. 181 के साथ परिवादी की मोटर साइकिल पर तथा सरकारी मोटर साइकिल से श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95, श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137 के एस.ओ. द्वारा बताये स्थान सांगानेर पुलिया हेतु रवाना होकर समय 12.05 पीएम पर सांगानेर थाना पुलिया के निचे सडक पर पहुंचे जहां पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल से एसओ के मोबाईल पर कॉल करवाकर निर्धारित रिश्वत लेनदेन स्थल सांगानेर पुलिया के निचे पहुंचने के लिए कहा तो एसओ सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि ठीक है वहीं रूको मैं आता हूं, इस वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु अवस्था में सुपुर्द कर वास्ते रिश्वत लेनदेन हेतु सांगानेर पुलिया के पास सिटी बस स्टेण्ड के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व गवाहान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। परिवादी अजय कुमार पुलिया के पास सिटी बस स्टेण्ड पर जाकर बैठ गया, जहां पर परिवादी मोबाईल पर वार्ता करता दिखा जिसके कुछ समय पश्चात एक मारूती डिजायरबरंग सफेद जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है जिसके नम्बर आरजे 14 टीएफ 0630 पुलिस के नीचे वाली बत्ती क्रोस कर आकर रूकी जिसमे ड्राईवर सीट के पास की सीट से एक व्यक्ति गाडी से उतरकर जिसके हाथ में कागज पकडे हुये सिटी बस स्टेण्ड पर बैठे परिवादी अजय कुमार के पास जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर परिवादी खडा हो गया एवं वह व्यक्ति परिवादी के पास पहुंच कर परिवादी से वार्ता करता हुआ दिखाई दिया, वार्ता के दौरान परिवादी अपनी जेबमें से रिश्वती राशि का लिफाफा निकाल कर उस व्यक्ति को देते हुये नजर आया। वह व्यक्ति परिवादी से रिश्वती राशि का लिफाफा अपने हाथ मे पकडे हुये कागजों के बिच मे रखवाकर प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात परिवादी ने वक्त 12.30 पीएम पर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के सिटी बस स्टेण्ड के पास खडे परिवादी अजय कुमार के पास पहुंचे तथा परिवादी श्री अजय कुमार से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया तथा परिवादी अजय कुमार ने अपने पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यह सुरेन्द्र कुमार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर है जिसने मेरे से रिश्वत राशि 4000 रूपये का लिफाफा अपने हाथ मे पकडे हुये कागजों के बिच मे रखवाया है,जिस पर उस व्यक्ति के दांये व बांये हाथ को पोंचो से हमराह जाब्ता से पकडवाया जाकर काबू मे लिया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर रिश्वत राशि का लिफाफा लेने वाले व्यक्ति को नाम पता पुछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह जाति यादव उम्र 52 वर्ष, निवासी 103, विज्ञान नगर, महल रोड जगतपुरा 7 नम्बर चौराहा के पास जयपुर मूल निवास ग्राम ढाणी रायपुर अहिरान पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू हाल कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण जयपुर होना बताया जिससे रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि अजय कुमार जी मेरे पास स्कूल की मान्यता के लिए आये थे तथा उन्होने पैसे किस काम के दिये है मुझे नही पता है। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश कुमावत को आरोपी के हाथ मे कागजों के बिच मे पकडे हुये रिश्वत राशि का लिफाफा मय कागजात दिलवाये जाकर, रिश्वत राशि के पिले रंग के लिफाफे मे से उसमे रखे नोटों को बाहर

निकलवाकर गिनवाया तो कुल 500-500 रूपये के कुल 8 नोट मिले एवं नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय मे बनाई गई फर्दकेशी मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाया गया। इस पर नोटों को गवाह श्री अविनाश कुमावत से पुनः लिफाफे मे रखवाये जाकर कागजात सहित गवाह अविनाश कुमावत को समंभलवाये गये। इसी दौरान घटनास्थल पर भीडभाड होने व सडक पर खुले मे होने से लिखत पढत की कार्यवाही के लिए उपयुक्त स्थान नही होने तथा ब्यूरो कार्यालय घटनास्थल से ज्यादा दूर नही होने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त करने वाले श्री सुरेन्द्र कुमार को हाथ पकडी हुई अवस्था में एवं मारूती डिजायर गाडी बरंग सफेद नम्बर आरजे 14 टीएफ 0630 मय चालक श्री मायाराम चौधरी को भी हमराह लेकर हमराहियान जाब्ता, गवाहान व परिवादी अजय कुमार व वाहनों के समय 12.40 पीएम पर एसीबी कार्यालय हेतु रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुंचा जहां पर लिखत पढत व हाथ धुलाई की अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने सुरेन्द्र कुमार से परिवादी अजय कुमार से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबध् मे पूछा तो श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि अजय कुमारजी मेरे पास स्कूल की मान्यता के लिए आये थे तथा उन्होने पैसे किस काम के दिये है मुझे नही पता है जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरा श्री राम स्कूल के नाम से 110 रूकमणि विहार मुहाना में स्कूल है एवं शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है। इसके बाद बच्चों के रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए U DISE कोड के लिए मैंने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण के यहां आवेदन दे रखा है जो उक्त आवेदन पत्र U DISE संशोधित करवा कर जारी करवाना है। उक्त आवेदन श्री सुरेन्द्र जी द्वारा संशोधित करने व जारी करने की एवज में 15 हजार रूपये की रिश्वत की माँग की गई थी जिसमे से 10 हजार रूपये पूर्व मे सुरेन्द्र कुमार ने दबाव बनाकर ले लिये थे तथा शेष रहे 5 हजार रूपये मे से एक हजार रूपये दिनांक 09.05.2025 को मांग सत्यापन के दौरान दिये थे एवं आज शेष रहे रिश्वत के 4 हजार रूपये इनकी मांग अनुसार इनको दिये है। तत्पश्चात परिवादी अजय कुमार एवं उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी सुरेन्द्र कुमार के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग अपरिवर्तित होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अजय कुमार तथा आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही ट्रेप बॉक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थित जनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी सुरेन्द्र कुमार के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग अपरिवर्तित होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अजय कुमार तथा आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात गवाह अविनाश कुमावत के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि के लिफाफे मे से रिश्वती राशि को निकलवाकर दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4 हजार रूपये होना पाया गया एवं नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। नोटों का विवरण फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मे अंकित किया जाकर बरामद शुदा उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 4 हजार रूपयों तथा पिले रंग का लिफाफा को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर सफेद कागज की चिट व पिले रंग के लिफाफे पर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर नोटों व पिले रंग के लिफाफे को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा जिन कागजों के बिच रिश्वती राशि का लिफाफा रखवाया था उक्त कागजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम कागज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के नाम दिनांक 18.05.2025 से 02.06.2025 तक कुल 16 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृति के संबंध मे आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर जयपुर ग्रामीण का प्रार्थना पत्र है कागज के पिछे के भाग पर श्री ज्ञानप्रकाश शुक्ला 15.11.1963 लिखा हुआ है एवं द्वितीय कागज आरोपी सुरेन्द्र कुमार का दिनांक 18.05.2025 से दिनाक 02.06.2025 तक प्रिन्टेड अवकाश के लिए आवेदन प्रपत्र है एवं तीसरे कागज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर को सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण जयपुर के सेवा अभिलेख भिजवाने बाबत पत्र क्रमांक 2138 दिनांक 13.05.2025 है जो कि आरोपी सुरेन्द्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है। उक्त प्रथम व द्वितीय कागज के बिच मे आरोपी सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि का लिफाफा रखवाकर रिश्वत प्राप्त की गई है। अतः उक्त प्रथम व द्वितीय कागज के मध्य का धोवन लेने हेतु ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया

जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया तथा एक कपडे की चिन्दी को स्वच्छ पानी से गिला कर प्रथम कागज के पिछे व द्वितीय कागज के अग्र भाग पर रगडकर चिन्दी को उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क C-1 व C-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अजय कुमार तथा आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये व चिन्दी को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क C अंकित कर दोनो गवाहान व परिवादी व आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं उक्त तीनों कागजों को सुखाकर कागजों पर सामने परिवादी, गवाहान व आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात परिवादी के गवाह श्री अशोक कुमार मीना से आरोपी सुरेन्द्र कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की जेब मे एक मोबाईल ओपो कम्पनी का मॉडल सीपीएच 2269 जिसमे जीओं कम्पनी की एक सिम नम्बर [redacted] लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] व [redacted] है तथा पेन्ट की पिछे की जेब मे एक पर्स जिसमे कुल 3780 रूपये मिले। पर्स मे मिली राशि के संबंध मे आरोपी सुरेन्द्र कुमार से पूछने पर स्वंय के खर्चे के घर से लेकर आना बताया। अतः उक्त मोबाईल वास्ते अनुसंधान खुली अवस्था में कब्जा एसीबी लिया गया एवं जामा तलाशी मे मिली राशि 3780 रूपये को कब्जा एसीबी लिया गया। मारूती डिजायर गाडी नम्बर आरजे 14 टीएफ 0630 जिसमे आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार मय चालक मायाराम चौधरी के साथ आया था उस वाहन के बारे मे पूछताछ पर सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त मारूती डिजायर गाडी शिक्षा विभाग मे अनुबंध पर लगी हुई है एवं उक्त गाडी मे जो चालक है उसका नाम मायाराम चौधरी है यह वाहन श्री मायाराम चौधरी का ही है एवं वह स्वंय ही चालक के रूप मे कार्य करता है। उक्त मारूती डिजायर की तलाशी स्वंतत्र गवाहान की उपस्थिति मे ली गई तो मारूती स्विफ्ट डिजायर नम्बर आरजे 14 टीएफ 0630 है जिसके सामने नम्बर प्लेट पर राजस्थान सरकार ON GOVT. DUTY लिखा हुआ है जिसमें कोई भी सामान नही मिला। वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 0630 को बतौर वजह सबूत मय वाहन की चाबी के जब्त किया गया। आरोपी सुरेन्द्र कुमार से परिवादी अजय कुमार के कार्य से संबंधित रिकॉर्ड के संबंध मे पूछा तो सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि श्री अजय कुमार ने इनके मुहाना जयपुर मे स्थित श्रीराम स्कूल के यु डाईस नम्बर के लिए आवेदन किया था जिसकी पूर्ति कर मैने इनको दे दिया था आगे का कार्य अतिरिक्त जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर (एडीपीसी) कार्यालय जयपुर मे होना है। तत्पश्चात मारूती डिजायर के चालक श्री मायाराम चौधरी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नामा श्री मायाराम चौधरी पुत्र श्री श्योराम उम्र 34 वर्ष निवासी सूरतरामपुरा पुलिस थाना दतवास जिला टोंक हाल निवासी मकान नम्बर 74, श्यामनगर बंबाला सांगानेर जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] बताया। तत्पश्चात मायाराम चौधरी से श्री सुरेन्द्र कुमार के साथ आने के बारे मे पूछा गया तो श्री मायाराम चौधरी ने बताया कि मेरी गाडी मारूती डिजायर नम्बर आरजे 14 टीएफ 0630 इनके कार्यालय मे अनुबंध पर 28500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लगा रखी है। श्री सुरेन्द्र कुमारजी ने आज मुझे शिक्षा संकुल चलने के लिए कहा था जिस पर मैं इनको लेकर जा रहा था, सांगानेर थाने के पास इन्होने मुझसे रूकने के लिए कहा था मैं गाडी मे बैठा रहा व सुरेन्द्र कुमारजी गाडी से उतरकर चले गये। श्री सुरेन्द्र कुमारजी किस काम से जा रहे है इसकी मुझे कोई जानकारी नही रहती है। मेरा काम मेरे वाहन की सार सम्हाल एवं वाहन चालक तक ही सिमित है। इस प्रकार श्री मायाराम चौधरी का उपरोक्त समस्त कार्यवाही से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा कोई परिस्थितिजन्य तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होते है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप श्री मायाराम चौधरी का उपरोक्त प्रकरण व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित कोई संबंध नही होने से श्री मायाराम चौधरी को बाद पूछताछ रूखमत किया। श्री मायाराम चौधरी से दौराने कार्यवाही किसी प्रकार की कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु जब्त नही की गई है व ना ही कब्जा एसीबी लिया गया है। दौराने कार्यवाही वक्त रिश्वत लेनदेन की वार्तालाप जो परिवादी अजय कुमार तथा सुरेन्द्र कुमार के मध्य हुई है जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज है को ऑन कर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान की उपस्थिति मे सुना गया तो उक्त वार्तालाप मे आरोपी सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी अजय कुमार से रिश्वती राशि 4 हजार रूपये प्राप्त करने के संबंध मे वार्तालाप दर्ज होना पाया गई। घटनास्थल पर श्री सफी मोहम्मद कानि0 173 से विभागीय विडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई गई। 05.00 पीएम पर श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाही ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, सांगानेर ग्रामीण जयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा जाकर नोटिस नमूना आवाज दिया गया जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार ने नोटिस की एक प्रति पर अपनी आवाज का नमूना देने के लिए लिखित मे मना किया। तत्पश्चात समय 05.55 पीएम पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर ग्रामीण जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी अजय कुमार द्वारा संचालित जयश्रीराम स्कुल 110 रूकमणी विहार मुहाना के यू डाईस कोड जारी करने के आवेदन से संबंधित रिकॉर्ड व प्रक्रिया कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर के पत्र क्रमांक 234 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्राप्त कर अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि जयश्री राम स्कुल मुहाना का यु डाईस कोड आवंटन के लिए आवेदन कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं यु

डाईस कोड आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधालय द्वारा आवेदन करने पर अभिशंषा हेतु संबधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाता है जिसकी अभिशंषा के उपरान्त आवेदन शिक्षा संकुल स्थित जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर को प्रेषित किया जाता है जहां पर जांच के उपरान्त आवेदन अपलोड किया जाता है। उक्त पत्र के संलग्न जयश्रीराम स्कुल मुहाना के आवेदन की सत्यप्रति संलग्न है जिस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर की सील पर सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है तथा हैडमिस्ट्रेस जयश्रीराम स्कुल व सैक्टेरी जेएसआर शिक्षा समिति की सील पर क्रमशः पोंगल शर्मा व परिवादी अजय कुमार के हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र के उपर विधालय का पुरा नाम जयश्रीराम स्कुल मुहाना लिखा है व क्रमांक 1/2025 अंकित है। परिवादी अजय कुमार द्वारा दिनांक 08.05.2025 को तहरीरी रिपोर्ट के साथ यु डाईस कोड आवेदन की जो फोटो प्रतिया प्रस्तुत की गई है उस आवेदन पर विधालय का नाम अंकित नही है तथा क्रमांक भी काटा हुआ है एवं हैडमिस्ट्रेस व सैक्टरी जयश्रीराम स्कुल की सील अंकित नही है। इसके पश्चात परिवादी अजय कुमार द्वारा सत्यापन दिनांक 09.05.2025 को युडाईस कोड हेतु आवेदन की जो फोटोप्रति प्रस्तुत की है उक्त आवेदन पर विधालय का पुरा नाम जयश्रीराम स्कुल मुहाना अंकित है क्रमांक भरा हुआ नही है तथा सैक्टरी जेएसआर शिक्षा समिति की सील पर अजय कुमार के हस्ताक्षर है तथा आवेदन के निचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर की सील पर आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है तथा जयश्रीराम स्कुल मुहाना को यु डाईस कोड आवेदन की अभिशंषा अंकित है। परिवादी अजय कुमार द्वारा दिनांक 13.05.2025 को यु डाईस कोड हेतु जो आवेदन की फोटोप्रति प्रस्तुत की है उस पर जयश्रीराम स्कुल मुहाना अंकित है क्रमांक 01/2025 अंकित है तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर की सील पर आरोपी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है तथा जयश्रीराम स्कुल मुहाना को यु डाईस कोड आवेदन की अभिशंषा अंकित है। तथा हैडमिस्ट्रेस जयश्रीराम स्कुल व सैक्टेरी जेएसआर शिक्षा समिति की सील पर क्रमशः पोंगल शर्मा व परिवादी अजय कुमार के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार स्पष्ट होता है कि परिवादी अजय कुमार द्वारा तहरीरी रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत आवेदन पत्र को आरोपी सुरेन्द्र कुमार से संशोधित करवाया जाना था जिसके लिए दिनांक 09.05.2025 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से 1 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये परिवादी का आवेदन पत्र पुनः तैयार कराया जाकर स्वंय के हस्ताक्षर करके दिये जिस पर परिवादी ने स्वंय की सील लगाकर हस्ताक्षरित किये व आरोपी सुरेन्द्र कुमार के बतायेनुसार सत्यापन वार्ता के दौरान हैडमिस्ट्रस की सील नही होने पर बाद मे आवेदन पत्र पर हैडमिस्ट्रेस की सील लगाकर पोंगल शर्मा के हस्ताक्षर कराकर आवेदन पत्र पर क्रमांक अंकित कर शिक्षा संकुल मे आवेदन पत्र जमा करवाया। जिनकी पुष्टी दिनांक 09.05.2025 की सत्यापन वार्तालाप व दिनांक 14.05.2025 की रिश्वत लेनदेन की वार्तालाप से होती है। बाद अवलोकन रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया। समय 08.00 पीएम पर उपस्थित परिवादी श्री अजय कुमार व उपस्थित गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे वॉइस रिकॉर्डर को स्वयं की अलमारी से निकालकर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से वॉइस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में दिनांक 09.05.2025 व 14.05.2025 की सत्यापन वार्ता, मोबाइल वार्ताओं की रिकॉर्डशुदा वार्ता, रिश्वत लेन देन के दौरान दर्ज वार्ताओं को सुना जाकर वार्ता रूपान्तरण की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई, उक्त वार्तालाप में दर्ज वार्ताओं में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी सुरेन्द्र कुमार की होना पहचान की। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर रिश्वत लेनदेन के पश्चात आरोपी को डिटेन करने व रिश्वत राशि बरामदगी की विडियोग्राफी विभागीय डिजीटल विडियो रिकॉर्डर/कैमरा मे एसडी कार्ड मे करवाई गई थी कैमरे मे लगे मैमोरी कार्ड को लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी के समक्ष चलाकर कार्ड मे वक्त ट्रेप कार्यवाही विडियो रिकॉर्डिंग होना सुनिश्चित किया। रिकॉर्ड वार्ता व विडियो क्लिप की कार्यालय लेपटॉप की सहायता से 05 डीवीडी तैयार कर मार्क ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 व ए-5 दिया जाकर डीवीडी ए-1, ए-2, ए-3 को सील्ड मोहर किया एवं वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड 16 जीबी को प्लास्टिक कवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सीलमोहर कर मार्क एसडी अंकित कर थैली पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा विडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलमोहर कर मार्क एसडी 1 अंकित कर परिवादी व गवहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अब तक की उपरोक्त समस्त कार्यवाही तथा तथ्यों से आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण जयपुर द्वारापरिवादी अजय कुमार की मुहाना जयपुर स्थित श्रीराम स्कुल के बच्चों के रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए U DISE कोड के लिए आवेदन पत्र संशोधित करवा कर जारी करने की एवज में 15 हजार रूपये की रिश्वत की माँग करना एवं 10 हजार रूपये पूर्व मे प्राप्त करना तथा दिनांक 09.05.2025 को मांग सत्यापन के दोरान एक हजार रूपये प्राप्त करना एवं शेष रहे रिश्वत के 4 हजार रूपये दिनांक 14.05.2025 को प्राप्त किया जाना पाया जाने से श्री सुरेन्द्र कुमार कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री होशियार

सिंह जाति यादव उम्र 52 वर्ष, निवासी 103, विज्ञान नगर, महल रोड जगतपुरा 7 नम्बर चौराहा के पास जयपुर मूल निवास ग्राम ढाणी रायपुर अहिरान पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू हाल कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय, जयपुर।.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह जाति यादव उम्र 52 वर्ष, निवासी 103, विज्ञान नगर, महल रोड जगतपुरा 7 नम्बर चौराहा के पास जयपुर मूल निवास ग्राम ढाणी रायपुर अहिरान पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनू हाल कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर ग्रामीण जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर प्रथम जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 288 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 661-64 दिनांक 15-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वितीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NEERAJ GURNANI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/05/2025 19:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/01/1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)